बजरंगलाल बनाम बीरमा वगै0

प्रकरण संख्या 16 वर्ष 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-06-2019	पत्रावली पेश हुई । अपीलान्ट की ओर से श्री रामबाबू मालव एडवाकेट का वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो किये जाने अपील का दिनांक 15.5.2019 को पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है तथा अपीलान्ट के पूर्व वकील श्री अतुल वशिष्ठ द्वारा दिनांक 17.5.2019 को एक प्रार्थना पत्र वास्ते विड्रॉ नहीं किये जाने अपील आपत्ति पेश किया जो भी पत्रावली शामिल है । अपीलान्ट के पूर्व अभिभाषक अतुल वशिष्ठ एवं वर्तमान अभिभाषक श्री रामबाबू मालव को सुना गया । अपीलान्ट एवं अभिभाषक श्री रामबाबू मालव द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत विड्रॉ किये जाने अपील में मुख्य कथन किया है कि पक्षकारान के मध्य आपसी समझाईश से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है । उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं रहा है, अपीलान्ट अब उक्त अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा विड्रॉ करना चाहता है, तथा अपील को एज विड्रॉ खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया, साथ ही अपीलान्ट की ओर से न्यायालय सिविल न्यायाधीश उत्तर कोटा में विचाराधीन वाद को विड्रॉ किये जाने का प्रार्थना पत्र मय आदेश दिनांक 15.5.19 प्रस्तुत किया है जो शामिल पत्रावली किया गया । प्रार्थना पत्र दिनांक 17.5.2019 वास्ते विड्रो नहीं किये जाने अपील के सम्बन्ध में अपीलांट के पूर्व वकील श्री अतुल वशिष्ठ का मुख्य कथन है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स ने आपसी दुरभि संधि करते हुये उक्त प्रकरण अपील को विड्रॉ किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि उक्त अपील नामान्तकरण को खारिज करने के लिए प्रस्तुत की गई है । उक्त अपील में सारवान तथ्य में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं0 1 लगायत 3 खातेदार अनुसूचित जाति के है जबकि उनके कब्जे व खाते की आराजी का विक्रय सवर्ण जाति के व्यक्ति मृतक बीरमा को हुआ है और उसके पक्ष में नामा0 सं0 40 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ उसके पश्चात मृतक बीरमा द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र– आराजी को रेस्पोडेन्ट बलतेज सिंह को विक्रय किया गया और उसके पक्ष में नामान्तकरण संख्या 86 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ, उसके पश्चात रेस्पोडेन्टबलतेज सिंह द्वारा पारिवारिक समझौते के आधार पर उक्त भूमि को जसदीप सिंह व तेजेन्द्र कौर को दे दिया गया, जिस पर नामान्तकरण संख्या 398 जसदीप सिंह व तेजेन्द्र कौर के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ, जो विक्रय धारा 42 आर0टी0 एक्ट के तहत बाधित है, और प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभाव शून्य है । अतः उक्त अपील को विड्रॉ नहीं करते हुये रेस्पोडेन्ट्स मृतक बीरमा के पक्ष में हुये नामा0 सं0 398 को निरस्त करते हुये तहसीलदार लाडपुरा को धारा 175 आर0टी0एक्ट के तहत कार्यवाही किये जाने का निर्देश प्रदान किये जायें । प्रार्थना पत्र अपील विड्रॉ किये जाने का दिनांक 15.5.19 एवं विड्रॉ नहीं किये जाने के प्रार्थना पत्र दिनांक 17.5.2019 के	

Scanned by CamScanner

सम्बन्ध में पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया । अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य राजीनामा हो जाने से अपीलांट उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहते है तथा अपील को एज विड्रॉ करना चाहते है । प्रस्तुत में आगे कार्यवाही नहीं चाहना, अपील विड्रॉ करना अपीलान्ट का अधिकार है, यदि उभयपक्ष अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है तथा विड्रॉ करना चाहते है तो अपील विड्रॉ किये जाने योग्य है किन्तु हम इस बिन्दु को भी नजर अन्दाज नहीं कर सकते कि उक्त नामा0 के सम्बन्ध में धारा 42 का उल्लंघन हुआ हो, क्योंकि अपीलार्थी ने भी स्वयं ने अपील निम्न दौ आधारों पर प्रस्तुत की है प्रथम– किशनी पुत्री धन्ना के हस्ताक्षर नहीं है, जबकि वह 1/3 की हिस्सेदार थी, दुसरा– भूमि लश्करी (मेघवंशी) की राजस्व रेकार्ड में है जिसका विकय गोपाल, जयकिशन, जमनालाल, लाडाबाई के द्वारा रेस्पोडेन्ट कम–1 को किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट कम–1 द्वारा रेस्पोडेन्ट कम --5 को किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट कम–5 द्वारा पारिवारिक बंटवारे के द्वारा रेस्पोडेन्ट कम–6 व 7 को किया है जो सवर्ण है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार लाडपुरा को जांच कर नियमानुसार कार्यवाही हेतु हेतु लिखा जाना उचित प्रतीत होता है ।

अतः अपील एज विड्रॉ खारिज की जाती है । साथ ही तहसीलदार लाडपुरा को लिखा जावें कि उक्त नामा0 सं0 398 से पूर्वोवत्तर से कमागत नामान्तकरणों की पुनः जांच तीन माह में करें, यदि नामान्तकरण तस्दीक के समय धारा 42 का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा जांच आने तक भूमि की खरीद फरोक्त नहीं होने का नोट अंकित करें । जांच रिपोर्ट व की गई कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावें । पत्रावली तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट आने पर पेश हो ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला कलक्टर
कोटा

जिला कलक्टर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner